UPSI010002152003

Presented on : 07-03-2003
Registered on : 07-08-2013
Decided on : 06-05-2026
Duration: 23 years, 1 months, 30 days

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (यू0 पी0 गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 05,सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी– शैलेन्द्र कुमार वर्मा, (एच 0 जे0 एस 0)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 285/2013

CIS: 3800285/2013

सरकार ––––––अभियोजन।

बनाम

1. कमलेश पुत्र रामदयाल,
2. राजेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र रामदयाल, (मृतक दौरान मुकदमा)
निवासीगण ग्राम मदारपुर, थाना मानपुर, जिला सीतापुर,
3. गोकरन उर्फ पप्पू पुत्र किशोरी लाल (मृतक दौरान मुकदमा)
निवासी ग्राम अदिलापुर, थाना मानपुर, जिला सीतापुर।

––––––अभियुक्तगण

अपराध संख्या– 180/2002
धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी
क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम
थाना– मानपुर, जिला सीतापुर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध संस्थित मुकदमा अपराध सं0–180/2002 अंतर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना मानपुर जिला सीतापुर में पुलिस/विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसज्ञान लिया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 12.07.2002 को वादी मुकदमा शशिकान्त यादव, थानाध्यक्ष मय श्री इन्द्रजीत सिंह, कां० 169 विद्या सागर,

Digitally signed by SHAILENDRA KUMAR VERMA
Date: 2026.05.06 16:37:37 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions Court, Sitapur

चालक कल्पनाथ वर्मा मय जीप सरकारी संख्या–UP 34B–0349 थाना हाजा से बहवाले र०सं० 21 समय 815 को थाना हाजा से विनावर तलाश वांछित अपराधी सम्बन्धित अपराध संख्या–171/2002 धारा 364,302,201 भारतीय दण्ड संहिता रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी करता हुआ ग्राम भिमरी मदारपुर पहुंचा, तो ज्ञात हुआ कि अपराधी कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्रगण रामदयाल निवासी मदारपुर, थाना मानपुर, सीतापुर व गोकरन उर्फ पप्पू पुत्र किशोरी लाल निवासी अदिलापुर, थाना मानपुर, जिला सीतापुर का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सह अपराधियों के आर्थिक व निजी लाभ हेतु भा०दं०वि० के अध्याय 16,17,22 के अन्तर्गत आने वाले अपराध करते हैं। इनका गैंग लीडर कमलेश पुत्र रामदयाल, निवासी मदारपुर, थाना मानपुर, जिला सीतापुर है। इनकी आपराधिक क्रिया कलापों से क्षेत्र की जनता में काफी भय व आतंक व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाने व साक्ष्य देने की सामान्यतः साहस नहीं कर पा रहा है। इनकी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखना नितान्त आवश्यक हो गया है। इनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है– मु०अ०सं०–39/2000, 364,302 भारतीय दण्ड संहिता बनाम कमलेश आदि, मु०अ०सं०–107/2002 धारा 364,302,201 भारतीय दण्ड संहिता बनाम कमलेश आदि, 111/2002, 386,504,506 भारतीय दण्ड संहिता बनाम कमलेश आदि। इनका यह कार्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इनका गैंगचार्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सीतापुर द्वारा दिनांक 11.07.2002 को अनुमोदित किया जा चुका है। अतः अपराधी कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू की अपराधिक गतिविधियों प्रभावी नियन्त्रण व जनकल्याणकारी व लोक व्यवस्थाये, इनके विरूद्ध उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप, निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाता है।

3. उक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना हरगाँव जिला सीतापुर पर अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम दर्ज किया गया जो कि संलग्न पत्रावली प्रदर्श क–2 है। मुकदमा कायमी के उपरान्त मुकदमे का खुलासा रपट सं0 29 पर समय 22:30 बजे किया गया, जो कि संलग्न पत्रावली का प्रदर्श क 3 है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार किया गया जो पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श क–1 है। विवेचक द्वारा जिलाधिकारी, सीतापुर के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा चलाये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया है जो कि पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श क 5 है तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श क–4 व अपराध संख्या–107/2002 अन्तर्गत धारा 364,302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्धित आरोप–पत्र को प्रदर्श क–6 के साबित किया गया है।

4. अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2004 को धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के

अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की गयी।

5. दौरान विचारण अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ गुड्डू के विरूद्ध दिनांक 04.02.2020 व गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध दिनांक 13.02.2026 को वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित मौखिक साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया।

क्र०सं०	साक्षी क्रमांक	नाम साक्षी	
1	पी०डब्लू०–1	सेवा निवृत्त शशिकान्त यादव, प्रभारी निरीक्षक	वादी मुकदमा
2	पी०डब्लू०–2	शान्ति देवी	स्वतंत्र साक्षी
3	पी०डब्लू०–3	सेवानिवृत्त निरीक्षक, एस०पी० वर्मा	विवेचक
4	पी०डब्लू०–4	सभाजीत पाल	विवेचक
5	पी०डब्लू०–5	(अ०सं०–107/2002 से सम्बन्धित) निरीक्षक रामदरश यादव	विवेचक

7. अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं०	प्रदर्शांक	प्रपत्र	साक्षी
1	प्रदर्श क 1	गैंगचार्ट	पी०डब्लू० 1 शशिकान्त यादव
2	प्रदर्श क 2	एफ०आई०आर०	पी०डब्लू० 1 शशिकान्त यादव
3	प्रदर्श क 3	जी०डी०	पी०डब्लू० 1 शशिकान्त यादव
4	प्रदर्श क 4	आरोप पत्र	पी०डब्लू० 3 सभाजीत पाल
5	प्रदर्श क 5	अभियोजन स्वीकृति	पी०डब्लू० 3 सभाजीत पाल
6	प्रदर्श क–6	अन्य आरोप–पत्र	पी०डब्लू०–5 रामदरश यादव

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त कमलेश का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होने का कथन किया है। अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू० 1 के बयान को गलत होने कहा। साक्षी पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 के बयान को सुनकर गलत बयान दिया जाना कहा है। साक्षी अभियुक्त द्वारा पी०डब्लू० 4 के बयान सुनकर गलत प्रमाणित किया जाना कहा। साक्षी अभियुक्त द्वारा पी०डब्लू० 5 को बयान को सुनकर गलत बयान दिया जाना कहा और अतिरिक्त कथन में कहा कि मु०अ०सं० 111/2002, 107/2002 व 39/2000 थाना मानपुर, जिला सीतापुर झूठे थे, जिनमें उसे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है।

9. बचाव पक्ष के द्वारा सबूत सूची दिनांकित 02.09.2024 से मु०अ०सं० 39/2000 में पारित निर्णय दिनांकित 24.03.2003, मु०अ०सं० 107/2002 में

पारित निर्णय दिनांकित 23.12.2003, मु०अ०सं० 111/2002 में पारित निर्णय दिनांकित 05.03.2004 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

10. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया।

11. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जो संयुक्त रूप से चोरी जैसे अपराध करते हैं। इनके भय व आतंक की वजह से कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने का दुस्साहस नहीं करता। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने भी अभियोजन प्रपत्रों को साबित करते हुये अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जाये।

12. उपरोक्त तर्कों का बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से आर्थिक भौतिक लाभ के तथ्य को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैंग साबित नहीं है। गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमों में अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है। उसके द्वारा गैंग बनाकर अपराध किये जाने का तथ्य भी साबित नहीं होता है। अतः सन्देह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया गया है।

13. आपराधिक प्रकरण में सर्व प्रथम अभियोजन पर यह भार है कि वह अपने साक्ष्यो से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देहों से परे साबित करे। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 यू० पी० गैंगेस्टर अधिनियम के आवश्यक तत्वों को युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

14. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साबित करने के उद्देश्य से पी०डब्लू० 1 सेवानिवृत्त शशिकान्त यादव पुलिस इंस्पेक्टर को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं वर्ष 2002 में बतौर थानाध्यक्ष मानपुर सीतापुर पर नियुक्त था। मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर पर पंजीकृत अभियोगों को संकलित करके दिनांक 10.07.2002 को गैंगचार्ट तैयार करके श्रीमान जिलाधिकारी से दिनांक 11.07.2002 को अनुमोदन प्राप्त किया। दिनांक 12.07.2002 को दौरान तलाश मुल्जिमान ग्राम बेमरी मदारपुर से आम जनमानस द्वारा ज्ञात हुआ कि मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है तथा कमलेश इस गिरोह का सरगना है। इसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक दुनियाबी लाभ हेतु भा०दं०वि० में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 के अपराधों को करने का आदी हो गया है। इसके गिरोह के आपराधिक कृत्यों के कारण आमजनमानस में भय व आतंक व्याप्त है, कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने पर मुकदमा लिखाने एवं गवाही देने के लिए भयवश तैयार नहीं होता है। इसका कृत्यु

अन्तर्गत धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट का दण्डनीय अपराध पाकर बरवत वापसी बहवाले रपट संख्या–29 समय 22:30 बजे अनुमोदित गैंगचार्ट को दाखिल करते हुए जुबानी सूचना के आधार पर थाने पर नियुक्त कांस्टेबल मोहर्रिर सत्य नरायन के द्वारा स्वयं बोलकर चिक दस्तदांजी संख्या–98/2002 किता करवाकर मु०अ०सं०–180/2002 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट बनाम कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू पंजीकृत कराया व उसके द्वारा तैयार किया गया। गैंगचार्ट जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है तथा शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया, जिसकी वह पुष्टि करता है। कांस्टेबल मोहर्रिर सत्यनरायन उसके साथ कार्यरत रहे हैं, वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को भलीभांति जानता पहचानता है, चिंक एफ०आई०आर० का०स०–A5 जो शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया, जिसकी वह पुष्टि करता है। कायमी रपट संख्या– 29 समय 22:30 बजे कांस्टेबल मोहर्रिर सत्यनरायन के लेख में मौजूद है। रपट कायमी की कार्बन कापी शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया, जिसकी वह पुष्टि करता है। उक्त अभियोग में विवेचक श्री सभाजीत पाल द्वारा उसका बयान दिनांक 11.08.2002 को अंकित किया गया। उसके द्वारा प्रथम सूचना टाइप व तस्दीक करते हुए अपने कथन अंकित कराया गया था।

15. साक्षी पी०डब्लू० 2 कान्ती देवी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 17.05.2002 को उसके पति भोगे रैदास अपने घर से सीतापुर अदालत आये थे, पेशी पर आये थे। उसके बाद जब उसके पति शाम को तारीख पेशी करके घर वापस नहीं आये। उसके पति एक मुकदमें में इन अभियुक्तगण के साथ आरोपित अभियुक्तगण थे। जो घटना इनके साथ अभियुक्तगण ने उसके गांव के ही तेजपाल की हत्या की थी, जिसमें तेजपाल की हत्या के मामले में उसके पति को भी अभियुक्त बनाया गया था। जबकि उसके पति ने तेजपाल की हत्या नहीं की थी। उसके पति को षडयंत्र रचकर परिवार से मिलकर तारीख पेशी वाले उसके पति का अपहरण किया। जब उसे पता चला तो वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ी तो गांव के व्यक्ति ने उसे बताया कि उसके पति को कमलेश, गुड्डू, पप्पू, रामबालक के साथ उसने देखा है। तब उसने इन सभी के घर जाकर पता लगाया कि उसके पति हैं या नहीं, तो उसे बताने से मना कर दिया। तब वह हताश होकर घर चली आयी। तब से लगातार उसके जेठ उसके पति को ढूंढने में लगे थे तो तीसरे दिन उसके जेठ ने बताया कि उसके पति की हत्या हो गयी। तब उसने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि उसके पति की लाश हेलिया व महुवापुर रोड पर नहर के किनारे पड़ी थी। गन्ने के खेत में पड़ी थी। तब उसके जेठ ने थाना मानपुर की पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर आयी थी और उसके सामने ही पुलिसवालों ने घटनास्थल पर उसकी पति की लाश पड़ी थी, जिसका दरोगा जी ने नक्शा नजरी बनाया था। घटनास्थल पर ही उसके सामने कागज तैयार किये गये थे। उसके बाद पुलिसवालों ने उसके पति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसके पति का पोस्टमार्टम व पंचनामा हुआ था। वह जब घटनास्थल पर लाश पड़ी थी, उसी समय पुलिसवालों को थाने जाकर नामजद कराया था। जिसमें अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

16. साक्षी पी०डब्लू० 3 एस०पी० वर्मा, सेवानिवृत्त निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.07.2002 को वह बतौर थानाध्यक्ष लहरपुर के पद पर नियुक्त था। दिनांक 18.07.2002 को क्षेत्राधिकारी लहरपुर के आदेश पर मु०अ०सं०–180/2002 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर की विवेचना उसके सुपुर्द की गयी थी। दिनांक 18.07.2002 को ही नकल चिक, नकल रपट किता किया गया तथा उसी दिन रिमाण्ड प्राप्त होने हेतु श्रीमान विशेष न्यायाशीध गैंगेस्टर एक्ट लखनऊ को दी गयी। पर्चा संख्या–2 दिनांक 01.08.2002 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का रिमाण्ड प्राप्त किया गया। दिनांक 11.08.2002 को पर्चा संख्या–3 किता किया गया जिसमें बयान वादी लिया गया। पर्चा संख्या–4 दिनांक 04.09.2002 को किता किया गया, जिसमें जिला कारागार सीतापुर से अभियुक्तगण का बयान लेने का प्रयास किया। रात होने के कारण बयान नहीं लिया जा सका। पर्चा संख्या–5 दिनांक 08.09.2002 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त कमलेश, राजेश उर्फ गुड्डू, गोकरन का बयान लिया गया। पर्चा संख्या–6 दिनांक 22.09.2009 को किता किया गया, जिसमें वादी का बयान लिया गया। पर्चा संख्या–7 दिनांक 01.10.2002 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का रिमाण्ड प्राप्त किया गया। पर्चा संख्या–8 दिनांक 09.10.2002 को किता किया गया, जिसमें मु०अ०सं०–39/2002 के गवाह कमलेश की तलाश की गयी। पर्चा संख्या–9 दिनांक 27.10.2002 को किता किया गया, जिसमें कोर्ट मोहर्रिर सत्य नरायन का बयान लिया गया। दिनांक 10.11.2002 को पर्चा संख्या–10 किता किया गया, जिसमें गवाह का बयान लेने का प्रयास किया गया, परन्तु गवाह नहीं मिला। दिनांक 22.11.2002 को बयान लेने का प्रयास किया, जिसमें अभियुक्त गया का रिमाण्ड प्राप्त किया गया। इसके बाद की विवेचना नवआगन्तुक विवेचक सभाजीत पाल द्वारा की गयी।

17. साक्षी पी०डब्लू० 4 सभाजीत पाल, सेवानिवृत्त प्रभारी निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.01.2003 को वह थाना लहरपुर में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। केस संख्या–182/2002 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर की पेडिंग विवेचना पूर्व विवेचक श्री एस०पी० वर्मा से ग्रहण कर उनके पूर्व प्रपत्रों का अवलोकन करके विवेचना में शेष साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 29.01.2003 को पर्चा संख्या–13 किता कर सूर्य प्रकाश दुबे एफ०आई०आर० लेखक, व हेड कांस्टेबल सुन्दर लाल का बयान अंकित किया। दिनांक 06.02.2003 को पर्चा संख्या–14 में हमीदुल्ला खां एवं गवाह कमलेश व गवाह श्रीमती कान्ती देवी व गवाह रज्जू लाल, रामदरश यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 10.02.2003 को राकेश सिंह का साक्ष्य संकलन करने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध समुचित साक्ष्य संकलन के उपरान्त दिनांक 26.02.2003 को आरोप–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोप–पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। अभियोजन स्वीकृति की मूल प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। आरोप–पत्र के साथ अभियुक्तगण के विरूद्ध

गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों से सम्बन्धित एफ०आई०आर० की प्रमाणित छायाप्रतियां माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो शामिल पत्रावली हैं।

18. साक्षी पी०डब्लू० 5 रामदरश यादव, प्रभारी निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.05.2002 को वह बतौर थानाध्यक्ष मानपुर में कार्यरत था। मुकदमा हाजा की विवेचना उसके द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तगण गोकरन उर्फ पप्पू, कमलेश तथा राजेन्द्र उर्फ गुड्डू के विरूद्ध मु०अ०सं०–107/2002 धारा 364, 302, 201 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र संख्या–68/2002 दिनांक 04.06.2002 न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति शामिल पत्रावली है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया, जिसकी उसने पुष्टि की। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उसका बयान लिया गया था।

19. अभियुक्त पर धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 के तहत आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में धारा 2(बी) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की उपधारा (I) में इस बात का उल्लेख है किः–

“Gang" means a group of persons, who acting either singly or collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or coercion, or otherwise with the object of disturbing public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage of himself or any other person, indulge in anti-social activities, namely:

(i) offences punishable under Chapter XVI, or Chapter XVII, or Chapter XXII of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or

(ii) distilling or manufacturing or storing or transporting or importing or exporting or selling or distributing any liquor, or intoxicating or dangerous drugs, or other intoxicants or narcotics or cultivating any plant, in contravention of any of the provisions of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act No. 4 of 1910), or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985), or any other law for the time being in force, or

(iii) occupying or taking possession of immovable property otherwise than in accordance with law, or setting-up false claims for title or possession of immovable property whether in himself or any other person, or

(iv) preventing or attempting to prevent any public servant or any witness from discharging his lawful duties, or

(v) offences punishable under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (Act No. 104 of 1956), or

(vi) offences punishable under Section 3 of the Public Gambling Act, 1867 (Act No. 3 of 1867), or

(vii) preventing any person from offering bids in auction lawfully conducted, or tender, lawfully invited, by or on behalf of any Government department, local body or public or private undertaking, for any lease or rights or supply of goods or work to be done, or

(viii) preventing or disturbing the smooth running by any person of his lawful business, profession, trade or employment or any other lawful activity connected therewith, or

(ix) offences punishable under Section 171-E of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or in preventing or obstructing any public election being lawfully held, by physically preventing the voter from exercising his electoral rights, or

(x) inciting others to resort to violence to disturb communal harmony, or

(xi) creating panic, alarm or terror in public, or

(xii) terrorising or assaulting employees or owners or occupiers of public or private undertakings or factories and causing mischief in respect of their properties, or

(xiii) inducing or attempting to induce any person to go to foreign countries on false representation that any employment, trade or profession shall be provided to him in such foreign country, or

(xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or

(xv) diverting or otherwise preventing any aircraft or public transport vehicle from following its scheduled course;

(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(xvii) illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xviii) human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities.

(xix) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966:

(xx) printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;

(xxi) involving in production, sale and distribution of spurious drugs;

(xxii) involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of Sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959;

(xxiii) felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and Wildlife Protection Act, 1972;

(xxiv) offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;

(xxv) indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life.

Section 2(c):- "gangster" means a member or leader or organiser of a gang and includes any person who abets or assists in the activities of a gang enumerated in clause (b), whether before or after the commission of such activities or harbours any person who has indulged in such activities;

Section 3:- Penalty. - (1) A gangster shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years and which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees:

Provided that a gangster who commits an offence against the person of a public servant or the person of a member of the family of a public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which

shall not be less than three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees.

(2) Whoever being a public servant renders any illegal help or support in any manner to a gangster, whether before or after the commission of any offence by the gangster (whether by himself or through others) or abstains from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of his superior officers, in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than three years and also with fine.”

20. गिरोह की उक्त परिभाषा जो अधिनियम की धारा 2 ख में वर्णित है, उसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकाला जाना है कि:–

(i) क्या अभियुक्तगण का कोई गिरोह अर्थात गैंग था?

(ii) क्या अभियुक्तगण द्वारा उस गैंग के मुखिया/सदस्य के रूप में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुये भारतीय दण्ड विधान में वर्णित धारा 16,17,22 के अन्तर्गत अपराध किये गये?

(iii) क्या उक्त गैंग में सम्मिलित होकर किये गये अपराधों का उद्देश्य आर्थिक व भौतिक रूप से दुनियाबी लाभ प्राप्त करना था?

21. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण का कोई गिरोह था? इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध मु०अ०सं०–39/2000 धारा 364,302 भा०द०सं०, मु०अ०सं०–107/2002 धारा 364,302,201 भा०द०सं० व मु०अ०सं०–111/2002 धारा 386,504, 506 भा०द०सं० से सम्बन्धित मुकदमें पंजीकृत होने का उल्लेख किया गया है। गैंगचार्ट में अभियुक्त कमलेश को गैंग लीडर व अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू को सदस्य के तौर पर दर्शाया है तथा अभियुक्तगण के समूह के विरूद्ध दर्ज मुकदमों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्मित गैंगचार्ट पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

22. पी० डब्लू० 1 सेवानिवृत्त शशिकान्त यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं वर्ष 2002 में बतौर थानाध्यक्ष मानपुर सीतापुर पर नियुक्त था। मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर पर पंजीकृत अभियोगों को संकलित करके दिनांक 10.07.2002 को गैंगचार्ट तैयार करके जिलाधिकारी से दिनांक 11.07.2002 को अनुमोदन प्राप्त किया। आगे कहा कि दिनांक 12.07.2002 को दौरान तलाश मुल्जिमान ग्राम बेमरी मदारपुर से आम जनमानस द्वारा ज्ञात हुआ कि मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है तथा कमलेश इस गिरोह का सगरना है। इसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक दुनियाबी लाभ हेतु भा०दं०वि० में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 के अपराधों को करने का आदी हो गया है। इसके गिरोह के आपराधिक कृत्यों के कारण आमजनमानस में भय व आतंक व्याप्त है, कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने पर मुकदमा लिखाने एवं गवाही देने के लिए भयवश तैयार नहीं होता है। इसका कृत्यु अन्तर्गत धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट का दण्डनीय अपराध पाकर बरवत वापसी

बहवाले रपट संख्या–29 समय 22:30 बजे अनुमोदित गैंगचार्ट को दाखिल करते हुए जुबानी सूचना के आधार पर थाने पर नियुक्त कांस्टेबल मोहर्रिर सत्य नरायन के द्वारा स्वयं बोलकर चिक दस्तदांजी संख्या–98/2002 किता करवाकर मु०अ०सं०–180/2002 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट बनाम कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू पंजीकृत कराया व उसके द्वारा तैयार किया गया। साक्षी ने गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया। आगे साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध चि क एफ०आई०आर० प्रदर्श क–2 को कांस्टेबल मोहर्रिर सत्यनरायन के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना प्रमाणित किया। आगे साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध कायमी रपट संख्या– 29 प्रदर्श क–3 कांस्टेबल मोहर्रिर सत्यनरायन के लेख में होना प्रमाणित किया है। आगे साक्षी ने विवेचक के द्वारा उसका बयान अंकित किया जाना पुष्ट किया।

23. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी, जिसमें साक्षी ने कहा कि मैंने मुल्जिमानों के विरूद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही के सम्बन्ध में मुकदमा कायम करने से पूर्व यह पता नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों को आरोपित अपराधों में सजा हुई है या नहीं। आगे कहा कि थाने पर मौजूद आपराधिक रिकार्ड के आधार पर इनके विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन के उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया था। आगे कि इन मुकदमों में अभियुक्त के दोषमुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से सबूत सूची से दाखिल नकल निर्णयों की प्रतिलिपि के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त कमलेश के विरूद्ध गैंगचार्ट में उल्लिखित तीनों मुकदमों में न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव में साक्षी ने राजनैतिक दबाव में आकर झूठी कार्यवाही करने और झूठा मुकदमा कायम करने के तथ्य को गलत बताया।

24. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 2 कान्ती देवी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 17.05.2002 को उसके पति भोगे रैदास अपने घर से सीतापुर अदालत आये थे, पेशी पर आये थे। उसके बाद जब उसके पति शाम को तारीख पेशी करके घर वापस नहीं आये। उसके पति एक मुकदमें में इन अभियुक्तगण के साथ आरोपित अभियुक्तगण थे। जो घटना इनके साथ अभियुक्तगण ने उसके गांव के ही तेजपाल की हत्या की थी, जिसमें तेजपाल की हत्या के मामले में उसके पति को भी अभियुक्त बनाया गया था। जबकि उसके पति ने तेजपाल की हत्या नहीं की थी। उसके पति को षडयंत्र रचकर परिवार से मिलकर तारीख पेशी वाले उसके पति का अपहरण किया। जब उसे पता चला तो वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ी तो गांव के व्यक्ति ने उसे बताया कि उसके पति को कमलेश, गुड्डू, पप्पू, रामबालक के साथ उसने देखा है। तब उसने इन सभी के घर जाकर पता लगाया कि उसके पति हैं या नहीं, तो उसे बताने से मना कर दिया। तब वह हताश होकर घर चली आयी। तब से लगातार उसके जेठ उसके पति को ढूंढने में लगे थे तो तीसरे दिन उसके जेठ ने बताया कि उसके पति की हत्या हो गयी। तब उसने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि उसके पति की लाश हेलिया व महुवापुर रोड पर नहर के किनारे पड़ी थी। गन्ने के खेत में पड़ी थी। तब उसके जेठ ने थाना मानपुर की पुलिस को सूचना दी थी। आगे कहा कि जब घटनास्थल पर लाश पड़ी थी, उसी समय पुलिसवालों को थाने जाकर नामजद कराया था। जिसमें अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर में मुकदमा पंजीकृत

कराया था। आगे कहा कि जब मैं थाने पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने जा रही थी, तब मुझे पता चला कि मेरी जान को खतरा है। तब मैं छुपछुप कर जैसे तैसे थाने पर जा पायी थी और तीनों लोगों की एफ०आई०आर० लिखायी थी। तब उन अभियुक्तगणों के द्वारा संदेश भेजा गया कि जमानत बीस हजार रूपये भिजवा दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देगें। इस बात की जानकारी मैंने थाना मानपुर में दी थी।

25. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कहा कि मेरा आदमी तेजपाल के कत्ल में मुल्जिम था। अभियुक्त पप्पू दो तीन साल से चल फिर नहीं पाता है। आगे कहा कि मुल्जिम राजेन्द्र की मृत्यु हो गयी है। मेरे जेठ रज्ज़ो पर भी कत्ल का मुकदमा चल रहा था, जिन्होंने इस मुकदमें की रिपोर्ट लिखायी थी। रज्ज़ो की कमलेश के कत्ल में सजा हो गयी थी। आगे सुझाव में इस कथन को सही बताया कि उसके पति की हत्या वाले केस में पप्पू उर्फ गोकरन, कमलेश व राजेन्द्र अदालत से बरी कर दिये गये व छूट गये थे। सुझाव में इस कथन को गलत बताया कि उसके जेठ रज्ज़ो द्वारा कत्ल के मुकदमें से बचने हेतु मुल्जिमानों के विरूद्ध झूठा मुकदमा उसके पति के बावत लिखाया हो।

26. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अपने पति की हत्या के मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मानपुर में नामजद मुकदमा लिखाया था। उक्त मुकदमें में मुल्जिमान को न्यायालय द्वारा बरी किये जानेका कथन साक्षी ने जिरह में किया है। साक्षी ने बयानों में यह भी कहा कि मुल्जिमानों ने उससे बीस हजार रूपया भिजवाने का कथन किया था, अन्यथा जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि उसके द्वारा मुल्जिमान के विरूद्ध लिखाये गये मुकदमें में मुल्जिमान को दोषमुक्त किया जा चुका है।

27. साक्षी पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत्त निरीक्षक एस०पी० वर्मा ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.07.2002 को वह बतौर थानाध्यक्ष लहरपुर के पद पर नियुक्त था। दिनांक 18.07.2002 को क्षेत्राधिकारी लहरपुर के आदेश पर मु०अ०सं०–180/2002 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर की विवेचना उसके सुपुर्द की गयी थी। दिनांक 18.07.2002 को ही नकल चिक, नकल रपट किता किया गया तथा उसी दिन रिमाण्ड प्राप्त होने हेतु श्रीमान विशेष न्यायाशीध गैंगेस्टर एक्ट लखनऊ को दी गयी। आगे बयान में साक्षी ने दौरान विवेचना पर्चा संख्या–2 लगायत पर्चा संख्या–10 किता करने का कथन करते हुए उक्त पर्चों में बयान गवाहान तथा बयान अभियुक्तगण का अंकित करने का कथन किया और प्रकरण की शेष विवेचना श्री सभाजीत पाल विवेचक के द्वारा किये जाने का कथन किया।

28. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कहा कि मुकदमा मेरी उपस्थिति में कायम नहीं हुआ था। वादी मुकदमा मेरे समकक्ष थे जो थाना मानपुर में तैनात थे। आगे कहा कि वादी मुकदमा से नामित गैंगचार्ट अभियुक्तों के बारे में मैंने नहीं पूछा था कि अभियुक्तों की पृथक विरासत निजी सम्पत्ति में कितनी बढोत्तरी की गयी थी। इस सम्बन्ध में मैं नहीं जानता हूँ और न मैंने वादी मुकदमा से गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमें की मैंने जानकारी की।

29. इस प्रकार इस साक्षी के सम्पूर्ण बयान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी के द्वारा प्रकरण की आंशिक विवेचना की गयी है। दौरान विवेचना साक्षी ने

गवाहों के बयान लेने और मुल्जिमानों की गिरफ्तारी का प्रयास करने का ही कार्य किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तों का गैंग होने के तथ्य होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि इस साक्षी ने जिरह में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने वादी मुकदमा से गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों की जानकारी नहीं की थी।

30. साक्षी पी०डब्लू० 4 सभाजीत पाल, सेवानिवृत्त प्रभारी निरीक्षक ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.01.2003 को वह थाना लहरपुर में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। केस संख्या–182/2002 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर की पेडिंग विवेचना पूर्व विवेचक श्री एस०पी० वर्मा से ग्रहण कर उनके पूर्व प्रपत्रों का अवलोकन करके विवेचना में शेष साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 29.01.2003 को पर्चा संख्या–13 किता कर सूर्य प्रकाश दुबे एफ०आई०आर० लेखक, व हेड कांस्टेबल सुन्दर लाल का बयान अंकित किया। दिनांक 06.02.2003 को पर्चा संख्या–14 में हमीदुल्ला खां एवं गवाह कमलेश व गवाह श्रीमती कान्ती देवी व गवाह रज्जू लाल, रामदरश यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 10.02.2003 को राकेश सिंह का साक्ष्य संकलन करने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध समुचित साक्ष्य संकलन के उपरान्त दिनांक 26.02.2003 को आरोप–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। साक्षी ने आरोप–पत्र प्रदर्श क–4 अपने लेख व हस्ताक्षर में होना प्रमाणित किया है। आगे साक्षी ने प्रदर्श क–5 अभियोजन स्वीकृति को प्रमाणित किया है। आगे साक्षी ने आरोप–पत्र के साथ अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों से सम्बन्धित एफ०आई०आर० की प्रमाणित छायाप्रतियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कथन किया है।

31. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कहा कि गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमें विवेचना के समय सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन या निर्णीत हैं, मुझे मालूम नहीं है। सुझाव में इस साक्षी ने गलत बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत आरोप पत्र प्रस्तुत किया हो। सुझाव में इस कथन को भी बताया कि किसी विधायक के दबाव में प्रेषित किया हो।

32. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने मामले की आंशिक विवेचना करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाने के आधार पर अभियोजन स्वीकृत प्रदर्श क–5 प्राप्त करके आरोप–पत्र प्रदर्श क–4 न्यायालय में प्रेषित किया।

33. साक्षी पी०डब्लू० 5 रामदरश यादव, प्रभारी निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.05.2002 को वह बतौर थानाध्यक्ष मानपुर में कार्यरत था। मुकदमा हाजा की विवेचना उसके द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तगण गोकरन उर्फ पप्पू, कमलेश तथा राजेन्द्र उर्फ गुड्डू के विरूद्ध मु०अ०सं०–107/2002 धारा 364,302,201 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र संख्या–68/2002 दिनांक 04.06.2002 न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति शामिल पत्रावली है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6

डाला गया, जिसकी उसने पुष्टि की। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उसका बयान लिया गया था।

34. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी, जिसमें साक्षी ने कहा कि मैंने उपरोक्त मुकदमें में धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधिनियम में विवेचना नहीं किया है। मैंने मुल्जिमानों के विरूद्ध मु०अ०सं०-107/2002 धारा 364,302,201 भा०द०सं० की विवेचना किया था। इस मुकदमें में सजा हुआ या रिहा हुया इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

35. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि साक्षी ने गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या-107/2002, धारा 364,302,201 भा०दं०सं० की विवेचना करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रदर्श क-6 पर्याप्त साक्ष्य पाने के आधार पर प्रेषित किया।

36. इस प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपने साक्ष्य में गैंगचार्ट को प्रदर्श क-1 तैयार किये जाना साबित करते हुए प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2 और नकल कायमी प्रदर्श क-3, कास्टेबल मोहर्रिर के द्वारा किता किया जाना प्रमाणित किया है। अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में साक्षी ने जानकारी होने की पुष्टि नहीं की है। साक्षी पी०डब्लू०-2 कांती देवी ने बयान में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने पति की हत्या के सम्बन्ध में नामजद मुकदमा लिखाये जाने का कथन किया है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण को बरी किया जा चुका है। साक्षी पी०डब्लू०-3 निरीक्षक एस०पी० वर्मा ने प्रकरण की आंशिक विवेचना किया जाना कहा है लेकिन गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों की कोई जानकारी होने से इंकार किया है। साक्षी पी०डब्लू०-4 सभाजीत पाल ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रदर्श क-4 किता किया जाना प्रमाणित किया है। लेकिन जिरह में उसने यह स्वीकार किया है कि गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमों में अभियुक्तगण को सजा हुई है या नहीं उसे जानकारी नहीं है। साक्षी पी०डब्लू०-5 रामदरश यादव ने मुकदमा अपराध संख्या-107/2002 की विवेचना कर आरोप-पत्र प्रदर्श क-6 न्यायालय प्रेषित किये जाने की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट में अभियुक्त कमलेश के विरूद्ध तीन मुकदमें मु०अ०सं०-39/2000, धारा 364,302 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०-107/2002 धारा 364,302,201 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०-111/2002 धारा 386,504,506 भा०दं०सं० उल्लिखित हैं। अभियुक्त की ओर से सबूत सूची से दाखिल उक्त तीनों मामलों के निर्णयों की प्रतियों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों ही मामलों में अभियुक्त कमलेश को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में ''गिरोह'' शब्द, यथापरिभाषित, के मूल तत्व की उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है। अतः अभियोजन साक्ष्यों से अभियुक्तगण का " गिरोह " साबित नहीं होता है।

37. द्वितीय बिन्दु के रूप में यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा उस गैंग के मुखिया/सदस्य के रूप में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुये भारतीय दण्ड विधान में वर्णित धारा 16,17,22 के अन्तर्गत अपराध किये गये?

38. इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा शशिकान्त यादव सेवानिवृत्त पुलिस

उपाधीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने सशपथ मुख्य परीक्षा में वर्ष 2002 में बतौर थानाध्यक्ष थाना मानपुर जनपद सीतापुर में नियुक्त होने का कथन किया। आगे कहा कि मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर पर पंजीकृत अभियोगों को संकलित करके दिनांक 10.07.2002 को गैंगचार्ट तैयार करके श्रीमान जिलाधिकारी से दिनांक 11.07.2002 को अनुमोदन प्राप्त किया। दिनांक 12.07.2002 को दौरान तलाश मुल्जिमान ग्राम बेमरी मदारपुर से आम जनमानस द्वारा ज्ञात हुआ कि मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है तथा कमलेश इस गिरोह का सगरना है। इसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक दुनियाबी लाभ हेतु भा०दं०वि० में वर्णित अध्याय 16, 17 व 22 के अपराधों को करने का आदी हो गया है। इसके गिरोह के आपराधिक कृत्यों के कारण आमजनमानस में भय व आतंक व्याप्त है, कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने पर मुकदमा लिखाने एवं गवाही देने के लिए भयवश तैयार नहीं होता है।

39. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मैंने मुल्जिमानों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही के सम्बन्ध में मुकदमा कायम करने के पूर्व यह पता नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों को आरोपित अपराधों में सजा हुई है या नहीं। मैंने इन अभियोगों के अलावा अन्य अभियोगों गुण्डा एक्ट के मुकदमें चले, सजा हुई या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आगे कहा कि इनके विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत किया था। इन मुकदमों में अभियुक्तों के दोषमुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं की।

40. इस प्रकार इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से अभियुक्त के द्वारा विभिन्न अपराध कारित करने के कारण गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने का कथन किया गया है और अभियुक्त का संगठित गिरोह होना बताया गया है। किन्तु साक्षी ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि अभियुक्त को किसी मामले में सजा हुई या नहीं हुयी या उसे दोषमुक्त किया गया इस तथ्य की उसे कोई जानकारी नहीं है।

41. साक्षी पी०डब्लू०-2 कान्ती देवी ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 17.05.2002 को उसके पति भोगे रैदास अपने घर से सीतापुर अदालत आये थे, पेशी पर आये थे। उसके बाद जब उसके पति शाम को तारीख पेशी करके घर वापस नहीं आये। उसके पति एक मुकदमें में इन अभियुक्तगण के साथ आरोपित अभियुक्तगण थे। जो घटना इनके साथ अभियुक्तगण ने उसके गांव के ही तेजपाल की हत्या की थी, जिसमें तेजपाल की हत्या के मामले में उसके पति को भी अभियुक्त बनाया गया था। जबकि उसके पति ने तेजपाल की हत्या नहीं की थी। उसके पति को षडयंत्र रचकर परिवार से मिलकर तारीख पेशी वाले उसके पति का अपहरण किया। जब उसे पता चला तो वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ी तो गांव के व्यक्ति ने उसे बताया कि उसके पति को कमलेश, गुड्डू, पप्पू, रामबालक के साथ उसने देखा है। तब उसने इन सभी के घर जाकर पता लगाया कि उसके पति हैं या नहीं, तो उसे बताने से मना कर दिया। तब वह हताश होकर घर चली आयी। तब से लगातार उसके जेठ उसके पति को ढूंढने में लगे थे तो तीसरे दिन उसके जेठ ने बताया कि उसके पति की हत्या हो गयी। तब उसने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि उसके पति की लाश हेलिया व महुवापुर रोड पर नहर के किनारे पड़ी थी। गन्ने के खेत में पड़ी थी। तब उसके जेठ ने थाना मानपुर

की पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर आयी थी और उसके सामने ही पुलिसवालों ने घटनास्थल पर उसकी पति की लाश पड़ी थी, जिसका दरोगा जी ने नक्शा नजरी बनाया था। घटनास्थल पर ही उसके सामने कागज तैयार किये गये थे। उसके बाद पुलिसवालों ने उसके पति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसके पति का पोस्टमार्टम व पंचनामा हुआ था। वह जब घटनास्थल पर लाश पड़ी थी, उसी समय पुलिसवालों को थाने जाकर नामजद कराया था। जिसमें अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

42. इस साक्षी से जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने सुझाव में यह स्वीकार किया कि मेरे पति की हत्या में पप्पू उर्फ गोकरन, कमलेश व राजेन्द्र अदालत से बरी कर दिये गये व छूट गये थे।

43. इस साक्षी के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अपने पति की हत्या होने के कारण मुल्जिमानों के विरूद्ध उसके द्वारा सम्बन्धित थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन इस साक्षी ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि मुल्जिमान को न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण के द्वारा विभिन्न अपराधों में सम्मिलित होने का तथ्य पुष्ट नहीं होता है।

44. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 एस०पी० वर्मा निरीक्षक के द्वारा प्रकरण की आंशिक विवेचना किया जाना कहा गया है और इस साक्षी ने अपनी द्वारा की गयी विवेचना में मात्र अभियुक्तों व गवाहों के बयान व गिरफ्तारी की कार्यवाही किये जाने का कथन किया है।

45. साक्षी पी०डब्लू०–4 सभाजीत पाल के द्वारा सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.01.2003 को वह थाना लहरपुर में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। केस संख्या–182/2002 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर की पेडिंग विवेचना पूर्व विवेचक श्री एस०पी० वर्मा से ग्रहण कर उनके पूर्व प्रपत्रों का अवलोकन करके विवेचना में शेष साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 29.01.2003 को पर्चा संख्या–13 किता कर सूर्य प्रकाश दुबे एफ०आई०आर० लेखक, व हेड कांस्टेबल सुन्दर लाल का बयान अंकित किया। दिनांक 06.02.2003 को पर्चा संख्या–14 में हमीदुल्ला खां एवं गवाह कमलेश व गवाह श्रीमती कान्ती देवी व गवाह रज्जू लाल, रामदरश यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 10.02.2003 को राकेश सिंह का साक्ष्य संकलन करने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध समुचित साक्ष्य संकलन के उपरान्त दिनांक 26.02.2003 को आरोप–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोप–पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। अभियोजन स्वीकृति की मूल प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। आरोप–पत्र के साथ अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों से सम्बन्धित एफ०आई०आर० की प्रमाणित छायाप्रतियां माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो शामिल पत्रावली हैं।

46. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मैं गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित मुकदमें का वादी नहीं हूँ। मैंने मुकदमा चलाने की अभियोजन स्वीकृति के

अलावा अन्य कोई जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली। इन मुल्जिमानों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कोई कार्यवाही हुई कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है।

47. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–182/2002 की विवेचना कर आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाना प्रमाणित किया गया है।उ ल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की प्रति बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तत की गयी है जिसमें अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विभिन्न अपराधों में संलिप्त होने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

48. साक्षी पी०डब्लू०–5 रामदरस यादव के द्वारा सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.05.2002 को वह बतौर थानाध्यक्ष मानपुर में कार्यरत था। मुकदमा हाजा की विवेचना उसके द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तगण गोकरन उर्फ पप्पू, कमलेश तथा राजेन्द्र उर्फ गुड्डू के विरूद्ध मु०अ०सं०–107/2002 धारा 364,302,201 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र संख्या–68/2002 दिनांक 04.06.2002 न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति शामिल पत्रावली है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया, जिसकी उसने पुष्टि की।

49. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी, जिसमें साक्षी ने कहा कि मैंने उपरोक्त मुकदमें में धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधिनियम में विवेचना नहीं किया है। मैंने मुल्जिमानों के विरूद्ध मु०अ०सं०–107/2002 धारा 364,302,201 भा०द०सं० की विवेचना किया था। इस मुकदमें में सजा हुआ या रिहा हुया इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुकदमा हाजा में चश्मदीद साक्षी नहीं थे। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

50. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण की विभिन्न अपराधों में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है। यह साक्षी भी मु०अ०सं०–107/2002 का विवेचक है, जिसमें अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गयी है,जिसमें अभियुक्तगण को दोषी नहीं पाया गया है और दोषमुक्त किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण का विभिन्न अपराधों में संलिप्तता साबित नहीं होती है। अतः अभियोजन साक्षियों के बयानों से अभियुक्त कमलेश का अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध कारित करना प्रमाणित नहीं होता है।

51. तृतीय बिन्दु के रूप में यह देखा जाना है कि क्या उक्त गैंग में सम्मिलित होकर किये गये अपराधों का उद्देश्य आर्थिक व भौतिक रूप से दुनियाबी लाभ प्राप्त करना था?

52. पी० डब्लू० 1 सेवानिवृत्त शशिकान्त यादव ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं वर्ष 2002 में बतौर थानाध्यक्ष मानपुर सीतापुर पर नियुक्त था। मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर पर पंजीकृत अभियोगों को संकलित करके दिनांक 10.07.2002 को गैंगचार्ट तैयार करके श्रीमान जिलाधिकारी से दिनांक 11.07.2002 को अनुमोदन प्राप्त किया। दिनांक 12.07.2002 को दौरान तलाश मुल्जिमान ग्राम बेमरी मदारपुर से आम

जनमानस द्वारा ज्ञात हुआ कि मुल्जिमान कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू व गोकरन उर्फ पप्पू उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है तथा कमलेश इस गिरोह का सगरना है। इसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक दुनियाबी लाभ हेतु भा०दं०वि० में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 के अपराधों को करने का आदी हो गया है।

53. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मैंने मुल्जिमानों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही के सम्बन्ध में मुकदमा कायम करने के पूर्व यह पता नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों को आरोपित अपराधों में सजा हुई है या नहीं। मैंने इन अभियोगों के अलावा अन्य अभियोगों गुण्डा एक्ट के मुकदमें चले सजा हुई या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। थाने पर मौजूद आपराधिक रिकार्ड के आधार पर इसके विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन के उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया जाता है। इन मुकदमों में अभियुक्त की दोषमुक्ति के बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं की। मेरे द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान इन मुल्जिमानों की आम शोहरत के बारे में जानकारी की थी।

54. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा आर्थिक, भौतिक या दुनियाबी लाभ प्राप्त करने का कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

55. साक्षी पी०डब्लू०–2 कान्ती देवी ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 17.05.2002 को उसके पति भोगे रैदास अपने घर से सीतापुर अदालत आये थे, पेशी पर आये थे। उसके बाद जब उसके पति शाम को तारीख पेशी करके घर वापस नहीं आये। उसके पति एक मुकदमें में इन अभियुक्तगण के साथ आरोपित अभियुक्तगण थे। जो घटना इनके साथ अभियुक्तगण ने उसके गांव के ही तेजपाल की हत्या की थी, जिसमें तेजपाल की हत्या के मामले में उसके पति को भी अभियुक्त बनाया गया था। जबकि उसके पति ने तेजपाल की हत्या नहीं की थी। उसके पति को षडयंत्र रचकर परिवार से मिलकर तारीख पेशी वाले उसके पति का अपहरण किया। तब से लगातार उसके जेठ उसके पति को ढूंढने में लगे थे तो तीसरे दिन उसके जेठ ने बताया कि उसके पति की हत्या हो गयी। तब उसने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि उसके पति की लाश हेलिया व महुवापुर रोड पर नहर के किनारे पड़ी थी। गन्ने के खेत में पड़ी थी। तब उसके जेठ ने थाना मानपुर की पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर आयी थी और उसके सामने ही पुलिसवालों ने घटनास्थल पर उसकी पति की लाश पड़ी थी, जिसका दरोगा जी ने नक्शा नजरी बनाया था। घटनास्थल पर ही उसके सामने कागज तैयार किये गये थे। उसके बाद पुलिसवालों ने उसके पति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसी समय पुलिसवालों को थाने जाकर नामजद कराया था। जिसमें अभियुक्तगण कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध थाना मानपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

56. बचाव पक्ष के द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी के द्वारा मात्र अभियुक्तगण के द्वारा उसके पति का व्यपरहण की हत्या किये जाने का मात्र कथन किया गया है। जबकि इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित कर धन व सम्पत्ति अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है।

57. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण द्वारा आर्थिक, भौतिक या दुनियाबी लाभ प्राप्त करना सिद्ध नहीं होता है।

58. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 एस०पी० वर्मा निरीक्षक के द्वारा प्रकरण की आंशिक विवेचना किया जाना कहा गया है और इस साक्षी ने अपनी द्वारा की गयी विवेचना में मात्र अभियुक्तों व गवाहों के बयान व गिरफ्तारी की कार्यवाही किये जाने का कथन किया है।

59. अतः उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा समूह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुये आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त किया जाता था।

60. साक्षी पी०डब्लू०–4 सभाजीत पाल के द्वारा सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.01.2003 को वह थाना लहरपुर में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। केस संख्या–182/2002 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर की पेडिंग विवेचना पूर्व विवेचक श्री एस०पी० वर्मा से ग्रहण कर उनके पूर्व प्रपत्रों का अवलोकन करके विवेचना में शेष साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 29.01.2003 को पर्चा संख्या–13 किता कर सूर्य प्रकाश दुबे एफ०आई०आर० लेखक, व हेड कांस्टेबल सुन्दर लाल का बयान अंकित किया। दिनांक 06.02.2003 को पर्चा संख्या–14 में हमीदुल्ला खां एवं गवाह कमलेश व गवाह श्रीमती कान्ती देवी व गवाह रज्जू लाल, रामदरश यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 10.02.2003 को राकेश सिंह का साक्ष्य संकलन करने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त कमलेश, राजेन्द्र उर्फ गुड्डू, गोकरन उर्फ पप्पू के विरूद्ध समुचित साक्ष्य संकलन के उपरान्त दिनांक 26.02.2003 को आरोप–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोप–पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। अभियोजन स्वीकृति की मूल प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। आरोप–पत्र के साथ अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों से सम्बन्धित एफ०आई०आर० की प्रमाणित छायाप्रतियां माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो शामिल पत्रावली हैं।

61. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मैं गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित मुकदमें का वादी नहीं हूँ। मैंने मुकदमा चलाने की अभियोजन स्वीकृति के अलावा अन्य कोई जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली। पैत्रक हैसियत के सम्बन्ध में जानकारी किया, लेकिन भयवश किसी ने नहीं दिया। किन व्यक्तियों से मैंने पूछतांछ की थी, मुझे याद नहीं है। और न ही मैंने उन साक्षियों का सी०डी० में उल्लेख किया है। पैत्रिक सम्पत्ति के अतिरिक्त मुल्जिमानों ने भी सम्पत्ति कितनी बनायी थी, इसकी मैंने जानकारी नहीं किया। न ही मेरे द्वारा सम्पत्ति सीज गयी व जब्त की गयी। मुल्जिमान के विरूद्ध आर्थिक लाभ हेतु हत्या करना व धमकी देना आदि का जो विवरण अभिलेखों में उपलब्ध है। गैंग चार्ट में वर्णित मुकदमें की विवेचना के समय सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन है।

62. साक्षी पी०डब्लू०–5 रामदरस यादव, जोकि गैंगचार्ट में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–107/2002, अन्तर्गत धारा 364,302,201 भारतीय दण्ड संहिता के विवेचक हैं, ने मात्र उक्त मुकदमें की विवेचना किये जाने का कथन किया है। उक्त

साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा दुनियाबी लाभ हेतु अपराध किये जाने व सम्पत्ति अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है।

63. अतः इस साक्षी पी०डब्लू० 4 व पी०डब्लू०–5 के साक्ष्य से भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा समूह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुये आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त किया जाता था, प्रमाणित नहीं होता है।

64. इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के बयानों से अभियुक्त कमलेश के विरुद्ध लगाये गये आरोप की अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है, संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

65. इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के द्वारा अपराध से धनार्जित करते हुए आर्थिक भौतिक या दुनियावी लाभ प्राप्त करने के तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन मुकदमों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है, उन मुकदमों में अभियुक्तगण को न्यायालय के द्वारा दोषी नहीं पाया गया है। इस प्रकार साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप की अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है, संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

66. इस प्रकार अभियोजन के उपरोक्त साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण का एक गिरोह है जिसमें वह अपने सह अभियुक्तगण (मृतक) के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर भारतीय दण्ड विधान में वर्णित अध्याय 16,17,22 के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना था। अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः अभियुक्तगण की अपहरण, हत्या करने जैसे आपराधिक गतिविधियों में कोई संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है तथा उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से ऐसा कोई बिन्दु उजागर नहीं हुआ है जिससे अभियोजन कथानक पुष्ट होना प्रकट होता हो। अतः अभियुक्तगण के अपराध में संलिप्तता पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है तथा अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रकट होता है।

67. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त कमलेश के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 केा संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त कमलेश को धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

68. अभियुक्त कमलेश को मु०अ०सं०–180/2002 धारा 2/3 उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट, थाना मानपुर, जिला सीतापुर के मामले में संदेह का लाभ लेते हुए उस पर

लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

69. अभियुक्त के द्वारा धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानतें दाखिल की जा चुकी हैं, जो निर्णय से 6 माह तक प्रभावी रहेंगी। अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपेक्षा किये जाने पर उपस्थित रहेगा।

दि0 06.05.2026

(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 5, सीतापुर।
J.O.Code UP**6377**

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि0 06.05.2026

(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 5, सीतापुर।
J.O.Code UP**6377**

पंकज/–